उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 (पी0ए0) अपील वाद सं0 04/2021–22

स्वपन कुमार साहा.....अपीलकर्त्ता

बनाम

राजीव साहा.....उत्तरकारी

आदेश

16.11.2021

यह रे0मि0 (पी0ए0) अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के पी0ए0 वाद सं0–39/17–18 में पारित आदेश दिनांक–30.12.2020 के विरूद्ध दायर किया गया है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मौजा–चौरकट्टा प्रधानी मौजा है एवं भूषण मंडल मौजा के गैंजर सर्वे खतियान में दर्ज प्रधान थे। उनका एक मात्र पुत्र गुरूदास साहा था गुरूदास साहा के चार पुत्र यथा मदन मोहन साहा मधुसुदन, साहा, सुकुमार साहा एवं नवकुमार साहा थे। अपीलकर्त्ता, पूर्व प्रधान के जेष्ठ पौत्र मदन मोहना साहा के पुत्र है। इसलिए संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–6 के अंतर्गत प्रधान पद पर उनका दावा बनता है, किन्तु निम्न न्यायालय द्वारा पूर्व प्रधान के द्वितीय पौत्र मधुसुदन साहा के पुत्र को प्रधान पद पर नियुक्त किया गया जो न्यायसंगत नही है। अतः निम्न न्यायालय के आदेश को विलोपित करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

उत्तरकारी द्वारा दाखिल लिखित बहस में कहा गया है कि अपीलकर्त्ता का यह कहना गलत है कि भूषण मंडल मौजा के कार्यरत प्रधान थे। इस संबंध में कोई साक्ष्य नही है। वह कभी भी प्रधान पद पर नियुक्त नही थे। मौजा खास रहने के कारण उत्तरकारी के पिता की नियुक्ति प्रधान पद पर संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम धारा–5 के अंतर्गत पी0ए0 वाद सं0–130/69–70 में आदेश दिनांक–03.05.70 द्वारा किया गया है। इसके विरूद्ध अपीलकर्त्ता के पिता के द्वारा कोई अपील या रिवीजन दायर नही किया गया है। उत्तरकारी के पिता के

नियुक्ति के पश्चात् नियमित रूप से प्रधान पद पर कार्य किया है। उनके मृत्यु के पश्चात् उत्तरकारी को अंतिम प्रधान के उत्तराधिकारी के आधार पर संथाल परगना कास्ताकारी अधिनियम धारा–6 के अंतर्गत मौजा का प्रधान पद पर नियुक्त किया गया है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश सही है। अतः अपीलकर्त्ता के आवेदन को निरस्त किया जाय।

निम्न न्यायालय के अभिलेख में उपलब्ध अंचल अधिकारी का प्रतिवेदन में उल्लेख है कि मौजा के पूर्व प्रधान मधुसुदन साहा थे। जिनकी मृत्यु दिनांक–23.05.2017 को हो चुकी है। उत्तरकारी के पूर्व प्रधान के जेष्ठ पुत्र है। अंचन अधिकारी द्वारा उन्हें संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम धारा–6 के अंतर्गत प्रधान पद पर नियुक्त करने की अनुशंसा किया गया है। इसी आधार पर निम्न न्यायालय द्वारा उन्हें पूर्व प्रधान के जेष्ठ पुत्र होने के नाते मौजा का प्रधान पद पर संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम धारा–6 के अंतर्गत नियुक्त किया गया है।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उत्तरकारी पूर्व प्रधान मधुसुदन साहा के जेष्ठ पुत्र है। मधुसुदन साहा की प्रधान पद पर नियुक्ति पी0ए0 वाद सं0–130/69–70 में पारित आदेश दिनांक–05.03.70 द्वारा हुई थी। पूर्व प्रधान की मृत्यु 23.05.2017 को हो चुकी है।

इसी आधार पर उत्तरकारी को प्रधान पद पर नियुक्त किया गया है। गैंजर सर्वे खतियान में दर्ज भुषण मंडल प्रधान के आधार पर अपीलकर्त्ता प्रधान पद पर दावा करते है, क्योंकि खतियान में दर्ज प्रधान भुषण मुडल अपीलकर्त्ता के पिता के दादा थे। खतियान में दर्ज प्रधान भुषण मंडल के मृत्यु के पश्चात् कोई भी प्रधान नियुक्त नहीं होने के कारण मौजा अस्थाई खास हो गया था। फलतः उत्तरकारी के पिता के नियुक्ति प्रधान पद पर संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–5 के अंतर्गत किया गया है।

उनके मृत्यु के पश्चात् निम्न न्यायालय द्वारा उत्तरकारी को मौजा का प्रधान संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम धारा–6 के अंतर्गत उत्तराधिकारी के आधार पर नियुक्त किया गया है। जो सही प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपील आवेदन को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

16/1/17
उपायुक्त,
दुमका।

16/1/17
उपायुक्त,
दुमका।

06 [illegible] 11.1.22

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.05 17:01:49 +05:30
Location: 169.254.227.244